



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6768

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 110 वर्ष 2026

डॉ. प्रियंका यादव

याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	राजेश मौर्य
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश मौर्य और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से यह बयान दिया गया है कि वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का निर्णय शुरुआती चरण में किया जाय।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से योग्य डॉक्टर हैं और विभिन्न निजी अस्पतालों और औषधालयों में काम करने का अनुभव रखते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक ने 28.10.2024 को आयुष डॉक्टरों की संविदात्मक पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए जिलों को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना जारी की, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जानी थी। उक्त अधिसूचना के संदर्भ में, तदर्थ नियुक्तियों के लिए 12.12.2024 को कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया।
- वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि पांचवें प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे सरकारी आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आयुष डॉक्टरों/चिकित्सा अधिकारियों के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की योग्यता और अनुभव पर विचार करें।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा प्रथम दृष्टया पांचवें प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला आजमगढ़ द्वारा किया जाना चाहिए।

6. न्यायालय में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 22.01.2026 तक पांचवें प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला आजमगढ़ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, पांचवें प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

12 जनवरी, 2026

राजेश